रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1667] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2015/श्रावण 19, 1937
No. 1667] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015 /SHRAVANA 19, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त , 2015

का.आ. 2161(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसरण में माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. पाठक, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, जिन्हें मेघालय के एक संगठन हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच.एन.एल.सी) को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय निर्णय करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत एक संदर्भ भेजा गया था, की अध्यक्षता में गठित अधिकरण के आदेश को आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

[सं. 11011/27/2015-एन ई-V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

नई दिल्ली

सुरक्षित : 29 अप्रैल, 2015

निर्णय की तारीख : 12 मई, 2015

निम्नलिखित मामले में:

हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल ऑफ मेघालय को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी दिनांक 16 नवम्बर, 2014 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 2923(अ)

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. पाठक

उपस्थिति :

सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव तथा श्री एस.सी. रावत, अनुभाग अधिकारी, गृह मंत्रालय के साथ श्री संजय जैन, अपर सोलिसिटर जनरल, श्री जसमीत सिंह, केन्द्र सरकार के स्थायी वकील, श्री राजेश गोगना, केन्द्र सरकार के स्थायी वकील।

मेघालय राज्य के अधिवक्ता श्री रंजन मुखर्जी।

आदेश

1. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 (1) के तहत पारित दिनांक 16 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सा. का. 2923 (अ) के तहत केन्द्र सरकार ने हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कांउसिल ऑफ मेघालय [संक्षेप में 'एच एन एल सी'] को 16.11.2014 से अन्य बातों के साथ-साथ इन आधारों पर 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया था।

एच एन एल सी ने (i) अपनी राष्ट्र विरोधी विचार धारा को खुले तौर पर अपना रखा है; (ii) अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए सशस्त्र साधनों का प्रयोग कर रहा है तथा उनमें लिप्त है; (iii) अपने संगठन के लिए निधियां एकत्र करने हेतु आम लोगों को डराने-धमकाने, जबरन धन वसूली करने तथा उनसे लूट-पाट करने के कृत्यों में संलिप्त रहा है; (iv) जबरन धन वसूली तथा डराने-धमकाने के कृत्यों को अंजाम देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ संबंध बनाए हुए है; और (v) अपने काडरों के आश्रय एवं प्रशिक्षण के प्रयोजन से ''पड़ोसी देश'' में शिविर बनाए हुए हैं।

2. उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत पारित दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना का.आ. 3088 (अ) के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने यह न्याय निर्णय करने के प्रयोजन से, कि एच एन एल सी को 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करने का पर्याप्त आधार है या नहीं, इस अधिकरण का गठन किया तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अंतर्गत इस अधिकरण को संदर्भ भेजा। इस अधिकरण को उक्त संदर्भ दिनांक 17 दिसम्बर 2014 को मिला।

3. उक्त अधिसूचना के साथ केन्द्र सरकार ने एच एन एल सी के बारे में एक पृष्ठभूमि नोट भेजा है जिसमें एच एन एल सी के उद्देश्यों और लक्ष्यों, इसकी ''हिंसा के स्तर'' तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के भूमिगत संगठनों के साथ इसके संबंधों का उल्लेख किया गया है। उक्त पृष्ठभूमि नोट के अनुसार एच एन एल सी का गठन 1992 में निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया:

(i) हन्नीवट्रेप लोगों (खासी और जैंतिया जनजातियों) को भारत सरकार के कथित अधिकारवादी शासन से मुक्त कराना;

(ii) खासी और मेघालय की अन्य जनजातियों की शोषण से सुरक्षा; और

(iii) उनकी मूल संस्कृति को बनाए रखना तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करना।

4. इसमें आगे यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि हाल में एच एन एल सी द्वारा की गई हिंसा की किसी बड़ी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तथापि इन काडरों की छोटी-छोटी टुकड़ियां खासी/जैंतिया हिल्स, जिनमें पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, रि-भोई तथा जैंतिया हिल्स जिले शामिल हैं, में खोई जमीन को पुन: प्राप्त करने के प्रयास कर रही हैं। पृष्ठभूमि नोट के अनुसार एच एन एल सी द्वारा की जाने वाली हिंसा की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(क) दिनांक 2 फरवरी, 2014 और 16 अप्रैल, 2014 को एच एन एल सी ने राज्य के युवकों को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए आह्वान करते हुए एक ई-मेल जारी किया और असम-मेघालय सीमा पर विवादित लांगपीह क्षेत्र तथा खासी एवं जैंतिया हिल्स जिलों में रह रहे सभी नेपालियों को **क्विट** नोटिस दिया;

(ख) अप्रैल, 2014 में संसदीय चुनाव के दौरान एच एन एल सी ने अपने फेसबुक पेज पर एक मैसेज डाला जिसमें सभी से मतदान केन्द्रों पर बम फेंकने के लिए आह्वान किया गया;

(ग) एच एन एल सी ने लामफरांग खरबानी, हन्नीवट्रेप अचिक नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष तथा चार अन्य की जबरन धनवसूली के आरोप में की गई गिरफ्तारी के विरोध में खासी-जैंतिया हिल्स के छह जिलों में केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालयों की 8, 9, 12 और 13 मई, 2014 को पूर्ण बंदी का आह्वान किया।

5. यह कि एच एन एल सी जैंतिया हिल्स के कोयला क्षेत्रों से जबरन धन वसूली कर रहा था और उसके द्वारा इन क्षेत्रों का उपयोग बांग्लादेश में सीमा-पार गतिविधियों हेतु पारगमन मार्ग के रूप में भी किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि एच एन एल सी ने नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (विश्वमोहन देबबर्मा), नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक-मुइवाह) तथा कांगली याओल कानबा लुप के साथ संबंध बनाए हुए हैं। एच एन एल सी के नेता, बॉबी मारविन, स्वयंभू कमान्डर-इन-चीफ तथाकेरिस्टर फील्ड थांगरव्यू, स्वयंभू महा सचिव बांग्लादेश से अपनी गतिविधियों का संचालन जारी रखे हुए हैं। मार्च, 2014 के दौरान एच एन एल सी ने पश्चिमी खासी हिल्स और दक्षिण-पश्चिम खासी हिल्स से लगभग उन्नीस कॉडरों की भर्ती की थी।

6. उपर्युक्त आधारों पर, केन्द्र सरकार की यह राय थी कि एच एन एल सी की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और एकता के लिए हानिकर हैं तथा यदि इन पर तत्काल अंकुश तथा नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उक्त एच एन एल सी फिर से संगठित हो जाएगा और स्वयं को फिर से हथियारों से सुसज्जित कर लेगा, अपने कॉडर का विस्तार करेगा, अत्याधुनिक हथियार जुटाएगा, आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की हत्या करेगा तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को तेज करेगा।

7. दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को प्रारंभिक सुनवाई की गई और अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के अंतर्गत एच एन एल सी को इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि इसे विधिविरुद्ध संगम क्यों घोषित नहीं किया जाए। उक्त नोटिस को निम्नलिखित तरीके से एच एन एल सी को तामील कराने का निदेश दिया गया:

I. उक्त संगम के कार्यालय (कार्यालयों), यदि कोई हो, के किसी स्पष्ट भाग पर उक्त अधिसूचना की प्रति चिपकाकर;

II. उक्त संगम के मुख्य पदाधिकारियों, यदि कोई हो, को जब कभी संभव हो उक्त अधिसूचना की प्रति की तामीली करके;

III. जिस क्षेत्र में उक्त संगम की गतिविधियां सामान्यत: चलाई जाती हैं उसमें उक्त अधिसूचना की विषय-वस्तु को ढोल पीटकर अथवा लाउडस्पीकर के द्वारा घोषणा करके;

IV. आकाशवाणी के स्थानीय या निकटतम प्रसारण केन्द्र से रेडियो पर घोषणा करके;

V. राज्य में सात जिलों में से प्रत्येक जिले के मुख्यालय में उपायुक्तों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना चिपकाकर; और

VI. अंग्रेजी के किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र और संबंधित राज्यों, जिनमें एच एन एल सी की गतिविधियां चलाई जाती हैं, के एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन के द्वारा।

8. केन्द्रीय सरकार और मेघालय राज्य द्वारा तामील संबंधी हलफनामा दायर किया गया जिसमें एचएनएलसी को तामील करने के तौर-तरीके के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हलफनामा में यह कहा गया था कि एचएनएल सी का अपने कार्यालय का कोई निश्चित स्थान नहीं है और वह गुप्त स्थान में है। नोटिसों की, समाचार पत्रों अर्थात दिनांक 11.01.2015 के हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 10.01.2015 के मेघालय गार्जियन, हाइलैंड पोस्ट, मवफोर, यू नॉगसेन हिमा, किनजातशई, यू पेईटनगोर तथा दिनांक 12.01.2015 के रूपांग में प्रकाशन द्वारा तथा आकाशवाणी के शिलांग स्टेशन और दूरदर्शन केन्द्र शिलांग के माध्यम से प्रसारण द्वारा तामील की गईं। नोटिसों को मेघालय राज्य के जिलों में उपायुक्तों के कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर भी प्रदर्शित किया गया है। संबंधित उपायुक्तों से प्राप्त रिपोर्टों को केन्द्रीय सरकार के तामील के शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

9. तामील के बावजूद एचएनएलसी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए इस पर 7 मार्च, 2015 को एकतरफा कार्यवाही हुई।

10. प्रतिबंध के समर्थन या विरोध में व्यापक स्तर पर जनता के अभ्यावेदन को आमंत्रित करने और कार्यवाही में एचएनएलसी की भागीदारी, यदि ऐसा वांछित हो, के लिए 7 एवं 8 मार्च, 2015 एवं 18 अप्रैल, 2015 को शिलांग में साक्ष्य को रिकॉर्ड किया गया। मेघालय राज्य ने निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ की :-

(i) एस डब्ल्यू 1 श्रीमती आर. लिंगदोह, आई ए एस, जिला मेघालय, दक्षिण-पश्चिम खासी हिल्स जिला, मावक्यरवात, मेघालय;

(ii) एस डब्ल्यू 2 श्री डी.डी. संगमा, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण-पश्चिम खासी हिल्स, मावक्यरवात, मेघालय;

(iii) एस डब्ल्यू 3 श्री पीटर सनसन डखार, आई ए एस, उपायुक्त, पश्चिम जैंतिया हिल्स जिला जोवई मेघालय;

(iv) एस डब्ल्यू 4 श्री एच.जी. लिंगदोह, एम पी एस, पुलिस अधीक्षक, पश्चिम जैंतिया हिल्स, जिला पोवई मेघालय;

(v) एस डब्ल्यू 5 श्री डब्ल्यू आर लिंगदोह, आई ए एस, उपायुक्त, पूर्वी जैंतिया हिल्स, जिला खलीइहरियात, मेघालय;

(vi) एस डब्ल्यू 6 श्री एम.के. डखार, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी जैंतिया हिल्स, जिला खलीइहरियत, मेघालय;

(vii) एस डब्ल्यू 7 श्री फ्रीमेन खार लिंगदोह, आई ए एस, आयुक्त एवं सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग, मेघालय;

(viii) एस डब्ल्यू 8 श्री संजय गोयल, आई ए एस, उपायुक्त, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग, मेघालय;

(ix) एस डब्ल्यू 9 श्री एम खरक्रांग, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी खासी हिल्स जिला, मेघालय;

(x) एस डब्ल्यू 10 श्री एस. खारलिंगदोह, आई ए एस, उपायुक्त, पश्चिमी खासी हिल्स जिला, नॉंग्सटोइन, मेघालय;

(xi) एस डब्ल्यू 11 श्री सिल्वेस्टर नांगटनगेर, एम पी एस, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी खासी हिल्स जिला, नांग्सटोइन, मेघालय;

(xii) एस डब्ल्यू 12 डॉ. पूजा पांडे, आई ए एस, उपायुक्त, रि भोई जिला, नोंगपोह;

(xiii) एस डब्ल्यू 13 श्री सी. वेंकट सुब्बा रेड्डी, पुलिस अधीक्षक, रि भोई जिला, नोंगपोह।

11. केन्द्रीय सरकार ने सी डब्ल्यू 1 सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से पूछताछ की। उपर्युक्त गवाहों के बयान को चुनौती नहीं दी गई है क्योंकि गवाहों से जिरह करने के लिए एचएनएलसी की ओर से कोई आगे नहीं आया और यहां तक कि किसी आम व्यक्ति ने भी कोई आपत्ति दायर नहीं की।

12. एस डब्ल्यू 1, श्रीमती आर. लिंगदोह ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.11.2013 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि कुछ व्यक्ति शिलांग से मावक्यरवात एचएनएलसी के डिमांड नोट ला रहे हैं, एक पुलिस दल ने जाकरेम क्षेत्र में जांच की; तलाशी के दौरान एचएनएलसी के नाम से एक लेमिनेटेड अपील पत्र, उन्नीस डिमांड नोट्स, लॉयन स्पोर्ट क्लब की एक रसीद पुस्तिका, एक बंगला लिंक सिम कार्ड, 2 बंगला लिंक टॉप अप कार्ड एवं उन्नीस पीले लिफाफे से भरा एक थैला बरादम किया गया। दो संदिग्ध एचएनएलसी कॉडरों को निरूद्ध किया गया और उनके पास से दो मोबाइल हैंडसेट और एक जी फोन ड्यूअल सीम बरामद किए गए। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि उक्त व्यक्तियों के दो साथियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसरण में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि दिनांक 02.05.2014 को एचएनएलसी का एक डिमांड नोट और 2,50,000 रु. की नकद राशि एचएनएलसी के सदस्यों के वाहन से बरामद की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एचएनएलसी कार्यालय पर धरना देने के कार्य में शामिल था और सभी राष्ट्रीय दिवसों, अर्थात गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर बंद का आह्वान किया है। शपथ पत्र में आगे यह कहा गया है कि एचएनएलसी काडर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त थे तथा शुरुआत से ही उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं तथा अलगाववादी क्रियाकलापों के दावों का समर्थन किया है और उन्होंने ऐसे अलगाव के लिए राज्य के आदिवासी युवकों को भी उकसाया है।

13. एस डब्ल्यू-2, श्री डी.डी. संगमा, आई पी एस का अभिसाक्ष्य एस डब्ल्यू 1 के बयान के जैसा ही है। उन्होंने कतिपय दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। प्रदर्श एस डब्ल्यू-2/1 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 121 (क)/120 ख के अंतर्गत मावक्यरवात पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी सं. 24 (।।)/13 की प्रति है। प्रदर्श एस डब्ल्यू-2/2 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 121/121(क) के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 8(5)/14 की प्रति है। उक्त प्राथमिकी को श्री लामफ्रांग खरबानी के पास से एचएनएलसी के एक डिमांड नोट की बरामदगी के अनुसरण में दर्ज किया गया था। बाद में दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 2,50,000 रु. की नकद राशि बरामद की गई जिसे एचएनएलसी काडरों को सुपुर्द किए जाने का संदेह था। प्रदर्श एस डब्ल्यू 2/3 एचएनएलसी द्वारा कार्यालय पर धरना देने के संबंध में किए गए आह्वान से संबंधित मीडिया रिपोर्ट की प्रति है। प्रदर्श एस डब्ल्यू 2/4, 2/5, 2/6 एवं 2/7 मेघालय राज्य में विधान सभा चुनावों का विरोध करने के लिए और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा रैट होल माइनिंग के प्रतिबंध के विरुद्ध तथा गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करने के लिए किए गए बंद के आह्वान के संबंध में मीडिया रिपोर्टों की प्रतियां हैं।

14. एस डब्ल्यू-3, श्री पीटर सनसन डखार, आई ए एस, उपायुक्त, पश्चिमी जैंतिया हिल्स, जिला जोवई मेघालय ने अभिसाक्ष्य दिया है कि यद्यपि मुख्य रूप से डर के कारण स्थानीय लोगों की आगे आकर शिकायत करने के प्रति अनिच्छा सहित विभिन्न कारणों से मामले को दर्ज नहीं किया गया था। तथापि, यह नहीं कहा जा सकता है कि एचएनएलसी स्वयं को विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में शामिल नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि एचएनएलसी पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले में सक्रिय है और जबरन धनवसूली, डराने-धमकाने और अपहरण के क्रियाकलापों में संलिप्त है। एच एन एल सी राष्ट्र विरोधी विधिविरुद्ध एवं घृणित क्रियाकलापों में भी शामिल है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि एन डी एफ बी, जी एन एल ए एवं एन एल एफ टी, एचएनएलसी के मुख्य समर्थक हैं जो बांग्लादेश में हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य आतंकवादी समूहों के साथ, एचएनएलसी के क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता, अखंडता एवं आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने अपने इस अभिसाक्ष्य में कि एचएनएलसी, विधिविरुद्धक्रियाकलापों में लिप्त है, जैसा कि उनके शपथ पत्रमें उल्लिखित है, के समर्थन में प्रदर्श एस डब्ल्यू 3/1(कॉली)के साथ विभिन्न समाचार पत्रों की कतरनों को संलग्न किया है। एस डब्ल्यू-4, श्री हरबर्ट जी. लिंगदोह ने एस डब्ल्यू-3 की ही तरह अभिसाक्ष्य दिया है। उन्होंने अपने इस बयान के समर्थन में कि एचएनएलसी ने विभिन्न अवसरों अर्थात वर्ष 2013 में गणतंत्र दिवस समारोहों की पूर्व संध्या पर बंद का आह्वान किया था।

स्वतंत्रता दिवस समारोहों की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति के राज्य के दौरे का विरोध किया था, गिरफ्तार आई एल पी समर्थक कार्यकर्ता को छोड़े जाने की मांग की थी और गणतंत्र दिवस समारोहों एवं लोक सभा चुनाव 2014 का बहिष्कार किया था; कार्यालय पर धरना देने के लिए आह्वान किया था ताकि गिरफ्तार एचएनएम अध्यक्ष एवं चार अन्य को छोड़े जाने के लिए बाध्य किया जा सके तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा रैट होल माइनिंग के प्रतिबंध का विरोध किया था, प्रदर्श एस डब्ल्यू-4/क, प्रदर्श एस डब्ल्यू-4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 एवं 4/10 के रूप में समाचार पत्र की कतरनों को भी प्रमाणित किया है।

15. एस डब्ल्यू 5, श्री डब्ल्यू आर लिंगदोह ने अभिसाक्ष्य दिया है कि एच एन एल सी मेघालय राज्य में पूर्वी जैंतिया हिल्स जिला में अपने विधिविरुद्ध, घृणित एवं समान विरोधी क्रियाकलापों को सक्रिय रूप से चला रहे हैं। उन्होंने पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले के भू-भागों के भीतर किए गए हाल के एचएनएलसी के प्रमुख विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के बारे में अपने शपथ पत्र में ब्यौरा दिया है। विभिन्न समाचार पत्रों की कतरनों अर्थात प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/1, एस डब्ल्यू-5/2, एस डब्ल्यू-5/3, एस डब्ल्यू-5/4, एस डब्ल्यू-5/5 और एस डब्ल्यू-5/6 को भी यह दर्शाने के लिए शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है कि एचएनएलसी ने 26 जनवरी, 2014 को भारत के माननीय राष्ट्रपति के शिलांग दौरे का विरोध करने के लिए समय-समय पर पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले में बंद का आह्वान किया था। एचएएनएम के अध्यक्ष को छोड़े जाने के लिए बाध्य करने हेतु कार्यालय पर धरना देने का भी आह्वान किया गया था, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश के विरुद्ध बंद का आह्वान किया गया था जिसके द्वारा राज्य में कोयला खनन पर प्रतिबंध लगाया था और साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोहों तथा महात्मा गांधी की याद में 2 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने का विरोध करने का भी आह्वान किया था। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि एचएनएलसी ने पूर्वी जैंतिया हिल्स के स्थानीय युवकों को बहला-फुसलाकर भर्ती अभियान चलाया था। उन्होंने यह भी कहा कि जबरन धन वसूली, डराना-धमकाना एवं अपहरण करना एचएनएलसी के मुख्य उद्देश्य हैं और वे भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। एस डब्ल्यू-6, श्री एम के डखार ने एस डब्ल्यू-5 के अनुरूप अभिसाक्ष्य दिया है। समाचार पत्र की कई कतरनों को प्रदर्श एस डब्ल्यू 6/1, प्रदर्श एस डब्ल्यू 6/2, प्रदर्श एस डब्ल्यू 6/3, प्रदर्श एस डब्ल्यू 6/4, प्रदर्श एस डब्ल्यू 6/5, प्रदर्श एस डब्ल्यू 6/6 और प्रदर्श एस डब्ल्यू 6/7 के रूप में शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सामान्यतया जनता और विशेष रूप से व्यावसायिक समुदाय से जबरन धन वसूली, उनको डराना-धमकाना एवं उनका अपहरण करना एच एन एल सी के मुख्य उद्देश्य हैं। मन में डर की भावना एक मूल कारण है जिससे पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति मामले की सूचना पुलिस को नहीं देते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि एच एन एल सी काडरों का प्रयास यह है कि मन में डर पैदा करके आम जनता को भारत संघ से राज्य को विलग करने के उद्देश्य का अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य आतंकवादी समूहों के साथ एच एन एल सी के क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

16. सी डब्ल्यू 1, सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सी डब्ल्यू 1/1 के रूप में दिनांक 16.11.2014 की अधिसूचना सं. 2923 (अ) को प्रमाणित कर दिया है। इस अधिसूचना के द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगम घोषित करके इसे प्रतिबंधित करने संबंधी सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को प्रकाशित किया गया। प्रदर्श सी डब्ल्यू-1/2 दिनांक 19 मई, 2005 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना है जिसमें धारा 4(3) के अनुसार अधिकरण का आदेश है, जिसके द्वाराएच एन एल सी को प्रतिबंधित करने के केन्द्रीय सरकार के पूर्व के निर्णय को सही ठहराया गया। प्रदर्श सी डब्ल्यू 1/3 एवं प्रदर्श सी डब्ल्यू1/4 क्रमश: दिनांक 21.5.2007 की अधिसूचना सं. 789 (अ) और दिनांक 28.5.2009 की अधिसूचना सं. 1373 (अ) की प्रतियां हैं जिनमें पूर्व के अधिकरणों जिनको इस अधिनियम के अंतर्गत मामला रेफर किया गया था, द्वारा पारित आदेश हैं, जिनके द्वारा उक्त अधिकरणों ने एच एन एल सी को प्रतिबंधित करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय को सही ठहराया था। प्रदर्श सी डब्ल्यू 1/15 दिनांक 1.6.2011 की अधिसूचना सं. 1268 (अ) की प्रति है जिसके द्वारा अधिकरण ने दिनांक 13.5.2011 के आदेश के तहत एच एन एल सी को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक 16.10.2010 को जारी पूर्व की अधिसूचना, जिसमें एच एन एल सी को 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया था, को सही ठहराया है। प्रदर्श सी डब्ल्यू 1/6 दिनांक 28.6.2013 की अधिसूचना सं. 2001 (अ) की प्रति है जिसके द्वारा अधिकरण ने दिनांक 14.5.2013 के आदेश के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी पूर्व की 16.11.2012 की अधिसूचना, जिसमें एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था, को सही ठहराया। प्रदर्श सी डब्ल्यू-1/7 विभिन्न क्रियाकलापों, जो नवम्बर, 2012 से सरकार के ध्यान में आए थे, का संक्षिप्त सार है।

प्रदर्श सी डब्ल्यू-1/8 एच एन एल सी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों और क्रियाकलापों का संक्षिप्त सार है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि एच एन एल सी के शीर्ष नेता बांग्लादेश से प्रचालन कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि दिनांक 2 फरवरी एवं 16 अप्रैल, 2014 को एच एन एल सी ने एक ई मेल जारी किया जिसमें राज्य के युवकों से उनके साथ हाथ मिलाने के लिए आह्वान किया गया था; एच एन एल सीगणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार

करने के लिए नियमित रूप से आह्वान करता है तथा अप्रैल में संसदीय चुनावों के दौरान, एच एन एल सी ने अपने फेसबुक पेज पर एक मैसेज डाला जिसमें सभी से आह्वान किया गया था कि वे मतदान केन्द्रों पर बम फेंकें। दिनांक 8, 9, 12 एवं 13 मई, 2014 को एच एन एल सी ने हन्नीवट्रेप आचिक नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए खासी जैंतिया हिल्स के छह जिलों में केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालयों की पूर्ण बंदी का आह्वान किया था। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के काडरों की पूछताछ के दौरान खुलासा किया गया है कि एच एन एल सी ने ए के सिरीज के कई हथियार खरीदे थे। एच एन एल सी जैंतिया हिल्स के कोयला क्षेत्रों से जबरन धन वसूली कर रहा है; एच एन एल सी ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (विश्वमोहन देबबर्मा), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवाह) और कांग्लेई याओल कन्बा लूप (हामपुर) के साथ संबंध बरकरार रखा है जो देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि एच एन एल सी और इसके कार्यकर्ता अभी भी विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त हैं जिनके लिए पूर्व में संगठन को प्रतिबंधित किया गया था और यह कि एच एन एल सी के क्रियाकलाप देश की शांति एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंध को अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना में परिकल्पित अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि एच एन एल सी अपने अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी एवं हिंसक क्रियाकलापों का विस्तार करेगा।

17. एस डब्ल्यू-7, श्री फ्रीमेन खार्लिंगदोह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि विभिन्न प्रेस रिलीजों के माध्यम से एच एन एल सी प्रत्येक राष्ट्रीय दिवस समारोहों अर्थात गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर बंद एवं असहयोग का आह्वान करता रहा है और एच एन एल सी के ऐसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप समाचार पत्र की कतरनों से स्पष्ट है, प्रदर्श एस डब्ल्यू-7/1 (कॉली)। उन्होंने यह कहा है कि एच एन एल सी सभी प्रकार के विधिविरुद्धक्रियाकलापों अर्थात सिविलियन से जबरन धन वसूली एवं लूट, निधियों की संग्रह में स्वयं को शामिल करते रहा है। धारा 121 (क)/120(ख), भारतीय दंड संहिता आर/डब्ल्यू धारा 10/13 यू ए पी अधिनियम (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/2) के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 24 (।।) 13की प्रति हलफनामा के साथ संलग्न की गई है। उक्त प्राथमिकी मावक्यरवात पुलिस थाना में दर्ज की गई थी। जाकरेम क्षेत्र में बस की जांच के दौरान, दो संदिग्ध एच एन एल सी सदस्यों को निरूद्ध किया गया था और उनके पास से दो मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए थे। प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/3, निरीक्षक के शबोंग, प्रभारी विशेष प्रकोष्ठ, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग द्वारा मावक्यरवात पुलिस थाना में अधिनियम 121/121 (क), भारतीय दंड संहिता आर/डब्ल्यू धारा 10/13 यू ए पी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई प्राथमिकी सं. 8(5) 14 की प्रति है। दिनांक 30 जनवरी, 2013 को पुलिस ने एक संदिग्ध एच एन एल सी काडर, रोनाल्ड मारवेन को जाकरेम (दक्षिण-पश्चिम खासी हिल्स जिला) से गिरफ्तार किया और श्री किरमेन्सखेम नांगरेल को लिखे 5,50,000 रु. का डिमांड नोट बरामद किया। उन्होंने आगे एच एन एल सी के सदस्यों द्वाराकी गई जबरन धनवसूली के कतिपय अन्य मामलों का खुलासा किया जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिकी दर्ज की गई, जिनमें से कुछ मामलों की जांच की जा रही थी और कुछ मामलों में सरकार से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए तैयार था। एच एन एल सी ने दिनांक 23.2.2013 को निर्धारित आम चुनाव और लोक सभा चुनाव, 2014 का भी खासी एवं जैंतिया हिल्स क्षेत्र में बहिष्कार का आह्वान किया था। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि एच एन एल सी ने पूर्वोत्तर राज्यों के राष्ट्र विरोधी विद्रोही समूहों जैसे कि उल्फा, एन एस सी एन, एन डी एफ बी एवं एन एल एफ टी के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं जो यह दर्शाता है कि एच एन एल सी निकट भविष्य में और अधिक समस्याएं पैदा करेगा जो भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने यह भी कहा है कि एच एन एल सी के सदस्य अन्य प्रतिबंधित संगठनों से प्रशिक्षण एवं सहायता लेते हैं। उन्होंने सभी छह जिलों, जहां एच एन एल सी सक्रिय है, के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के हलफनामेमें किए गए प्रकथनों का भी अनुसमर्थन किया है।

18. एस डब्ल्यू 8, श्री संजय गोयल ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि एच एन एल सी पूर्वी खासी हिल्स के जिले में विधिविरुद्ध घृणित एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है;एच एन एल सी की गतिविधियों का उद्देश्य भारत की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता में विघ्न डालना है। उन्होंने यह भी कहा कि एच एन एल सी के काडर व्यावसायिक समुदाय को डिमांड नोट जारी करके निधियां उगाहने के कार्य में शामिल हैं। एच एन एल सी ने पूर्वोतर राज्यों के अन्य प्रतिबंधित विद्रोही समूहों अर्थात् उल्फा, एन एस सी एन, एन डी एफ बी एवं एन एल एफ टी के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। एस डब्ल्यू 9, श्री एम. खारक्रांग, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी खासी हिल्स जिला, मेघालय ने एस डब्ल्यू-8, श्री संजय गोयल द्वारा उनके हलफनामे एस डब्ल्यू 8क में वर्णित तथ्यों को दोहराया है। उन्होंने अपने इस अभिसाक्ष्य के समर्थन में कि समाचार पत्र की कतरनों प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/3, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/4, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/6, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/7, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/8, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/10, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/12, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/13, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/16, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/18, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/19, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/20, प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/21, प्रदर्श एस डब्ल्यू9/22 एवं प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/23 पर भरोसा किया है कि एच एन एल सी गणतंत्र दिवस समारोहों, विधान सभा चुनावों, स्वतंत्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार करने का आह्वान करता रहा है और यहां तक कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के दौरे का भी विरोध किया था; कार्यालय पर धरना देने, कामबंदी, बंद के लिए आह्वान किया था। उन्होंने सुफियान अली हजारिका उर्फ

मनभालांग जारवा, जिससे एक लैपटॉप एवं तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए थे, की गिरफ्तारी के संबंध में यू ए पी अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख/121/121-क के अंतर्गत दिनांक 24 जनवरी, 2014 की प्राथमिकी सं. 3 की प्रति संलग्न की है। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि सुफियान अली हजारिका ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वह एच एन एल का सदस्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 222/224 यू ए पी अधिनियम (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/5) के अंतर्गत 17 जुलाई, 2013 की प्राथमिकी सं. 60 की प्रति भी दिनांक 17.7.2013 की घटना के बारे में संलग्न की गई है जब फिरनैलंग स्वेर को प्राथमिकी सं. 3(1)13 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था किंतु एन ई आई जी आर आई एच एम एस, शिलांग से बच निकला था जहां उसका उपचार चल रहा था। यू ए पी अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 120-ख/121 के अंतर्गत 14 मार्च, 2014 की प्राथमिकी सं. 19 (03) 2014 की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/9) को उसके द्वारा यह दर्शाने के लिए हलफनामे के साथ संलग्न की गई है कि दिनांक 14.3.2014 को पुलिस ने एक टाटा सूमो को रोका था जिसमें एच एन एल सी के तीन सदस्य यात्रा कर रहे थे। वे विध्वंसक क्रियाकलाप करने के लिए मावसिनराम जा रहे थे। यू ए पी अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 120-ख/506 के अंतर्गत दर्ज 11 अप्रैल, 2014 की प्राथमिकी सं. 31 की प्रति (प्रदर्श 9/11) को यह दर्शाने के लिए हलफनामे के साथ उसके द्वारा संलग्न की गई है कि दिनांक 4.4.2014 को श्री के. लैंगसटिह एवं हिमा मिलियम के अन्य मंत्रियों को एक टेलीफोन कॉल आया था और कॉलर ने स्वयं का परिचय एच एन एल सी पब्लिक सेक्रेटरी के पी एस ओ के रूप में दिया था और उनको धमकी दी थी कि मामले को सुलझाया जाए अन्यथा उनको खत्म कर दिया जाएगा। यू ए पी अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 120-ख के अंतर्गत दिनांक 9 मई, 2014 की प्राथमिकी सं. 9(5)14 की प्रति यह दर्शाने के लिए संलग्न की गई है कि दिनांक 8.5.2014 को एक पुलिस दल ने मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को देखा और पुलिस दल द्वारा देखने के बाद, उनमें एक मोटर साईकिल से कूद पड़ा और जंगल की ओर भाग गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पूछताछ से उसकी पहचान वान खारदेवसाव, एक कट्टर एच एन एल सी काडर के रूप में की गई। यू ए पी अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 506 के अंतर्गत दिनांक 5 मई, 2014 की प्राथमिकी सं. 153 की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/15) यह दर्शाने के लिए संलग्न की गई है कि दिनांक 5.5.2014 को एच एन एल सी के पब्लिक सेक्रेटरी ने श्री विवेक सियम, एम पी एस, पुलिस अधीक्षक (सिटी), शिलांग की जान के लिए खुली धमकी जारी की थी। यू ए पी अधिनियम के अंतर्गत आई पी सी की धारा 326/34 (प्रदर्श 9/17) के अंतर्गत लैतुमखराह पुलिस थाना में श्री रोबर्ट परिजात द्वारा दर्ज कराई दिनांकउ 28 जुलाई, 2014 की प्राथमिकी सं. 118 की प्रति यह दर्शाने के लिए हलफनाम के साथ संलग्न की गई है कि कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने लेचूमियरे में उसके पत्र के सिर एवं रीढ की हड्डी (रिब केज) पर हमला कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप उसको चोटें आई थीं। एस डब्ल्यू 9 ने आगे यह भी कहा है कि तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और पूछताछ से उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने पीड़ित को एक पार्टी में शामिल होने के लिए प्रलोभन दिया था और बांग्लादेश स्थित फ्रेंकूपार डिंगदोह ऊर्फ मेटल उर्फ बाह हेप मेटल नामक एक वरिष्ठ एच एन एल सी काडर के निर्देश पर फिरौती के लिए उसका अपहरण करने की योजना बनाई थी।

19. प्रदर्श, एस डब्ल्यू 10 श्री खारलिंगदोह ने अभिसाक्ष्य दिया है कि एच एन एल सी का नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म (एनएससीएन आई एम) के साथ प्रत्यक्ष मिलीभगत एवं संबंध है, जो हथियारों एवं गोलाबारूदों की आपूर्ति करता रहा है और एच एन एल सी को राज्य की सुरक्षा एवं शांति को भंग करने में कामयाब बनाने के लिए संभारतंत्र सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त एच एन एल सी के काडरों को प्रशिक्षण भी देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि एच एन एल सी अलगाववादी क्रियाकलापों के दावों को समर्थन देता रहा है और ऐसा अलगाव लाने के लिए राज्य के आदिवासी युवकों को प्रेरित भी किया है; एच एन एल सी काडरों के पास अभी गैरकानूनी हथियार एवं गोलाबारूद हैं जो छिपने के विभिन्न ठिकानों में रखे हुए हैं। गैरकानूनी साधनों से निधियां एकत्र करने के लिए एच एन एल सी काडरों द्वारा गुप्त प्रचालन अभी भी किए जा रहे हैं; एच एन एल सी काडरों द्वारा जन साधारण से लुक-छिपकर जबरन धन वसूली का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एच एन एल सी गणतंत्र दिवसों एवं स्वतंत्रता दिवसों पर बंद का आह्वान करता रहा है और भारत की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता को भंग करने के लिए अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को जारी रखा है। एस डब्ल्यू-।। श्री सिल्वेस्टर नांगटेंगर ने एस डब्ल्यू 10 की ही तरह अभिसाक्ष्य दिया है। उन्होंने यह दर्शाने के लिए समाचार पत्रों की कतरनें प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/1 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/5 की प्रतियां संलग्न की हैं कि एच एन एल सी प्रत्येक वर्ष सभी राष्ट्रीय आयोजनों पर बंद रखने; विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करने के लिए आह्वान करता रहा है और दिनांक 8,9,12 एवं 13 मई, 2014 को कार्यालय पर धरना देने के लिए आह्वान किया था तथा क्विक नोटिस जारी किया था एवं युवकों से एच एन एल सी में शामिल होने के लिए आह्वान किया। उसने इस बारे में यू ए पी अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 120-ख/121/121-क के अंतर्गत 20 जुलाई, 2014 की प्राथमिकी सं. 89 (7) (14) की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू ।1/6) भी प्रस्तुत की है कि एक एच एन एल सी काडर, श्री खिंचलूंगलांग उर्फ बनतेई लिंगखोई को त्रिपुरा पुलिस द्वारा निरोधित किया गया, जो बांग्लादेश में एच एन एल सी कैम्प से भाग गया था।

20. एस डब्ल्यू 12, डॉ. पूजा पांडे ने अभिसाक्ष्य दिया है कि यद्यपि मुख्य रूप से डर के कारण स्थानीय लोगों की आगे आकर शिकायत करने की अनिच्छा सहित विभिन्न कारणों से मामलों को दर्ज नहीं किया गया है, तथापि, यह नहीं कहा जा सकता है कि एच एन एल सी स्वयं को विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में शामिल नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि एच एन एल सी सामान्य लोगों को मुख्य धारा से विमुख करने का प्रयास कर रहा है और यदि एच एन एल सी के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को तुरंत रोका एवं नियंत्रित नहीं किया गया तो उनकी शक्ति बढ़ेगी और वे और अधिक काडरों को भर्ती करने तथा अत्याधुनिक हथियारों आदि का प्रापण करेंगे जिनका उपयोग वे सिविलियन एवं सुरक्षा बलों के विरुद्ध कर सकते हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में तेजी ला सकते हैं और राज्य के विरुद्ध लड़ाई छेड़ सकते हैं।

21. एस डब्ल्यू 13, श्री सी वेंकट सुब्बा रेड्डी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि एच एन एल सी सभी राष्ट्रीय दिवसों अर्थात गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर सामान्य लोगों को इसे मनाने से रोकने के लिए बंद का आह्वान करता रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि यद्यपि यह समूह रिभोई जिला में इतना अधिक सक्रिय नहीं है किंतु वे इस जिला का उपयोग छिपने के ठिकाने और पड़ोसी राज्य, असम के अन्य उग्रवादी समूहों से मिलने के स्थान के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने अपने शपथ पत्र में एस डब्ल्यू-12 द्वारा उल्लिखित तथ्यों को दोहराया है।

22. एस डब्ल्यू 4, एस डब्ल्यू 7 एवं एस डब्ल्यू 9 ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि एच एन एल सी का मूल उद्देश्य एक संप्रभु 'खासी हिल राज्य' बनाना है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं होगा। एच एन एल सी द्वारा किए गए सभी क्रियाकलाप उसी दिशा में हैं। आगे यह भी नोट किया जा सकता है कि शिलांग में सुनवाई के दौरान, सी डब्ल्यू-1 ने एक सीलबंद लिफाफा दिया था जिसमें इस प्रकथन के समर्थन में सामग्री थी कि एच एन एल सी विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त था। इसमें रक्षा मंत्रालय, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (आर एंड ए डब्ल्यू) तथा सीमा सुरक्षा बल की कई रिपोर्टें भी शामिल थीं। लिफाफे को खोला गया है और उसको पढ़कर दोबारा बंद किया गया है। इसे रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को वापस कर दिया गया है।

23. केन्द्रीय सरकार और मेघालय राज्य सरकार की ओर से जांचे गए गवाहों की जिरह नहीं की गई है क्योंकि एच एन एल सी एकपक्षीय रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि अधिकरण ने साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी बैठकें आयोजित कीं ताकि एच एन एल सी और/या जनसामान्य इनमें भाग ले सकें किंतु गवाहों की जिरह करने और इस विषय पर सूचना देने के लिए कोई आगे नहीं आया। केन्द्रीय सरकार और मेघालय राज्य द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया साक्ष्य अकाट्य एवं बिना चुनौती वाला रहा है।

24. मैंने विद्वान ए एस जी, मेघालय राज्य का विद्वान वकील को सुना है, और सीलबंद कवर में दस्तावेजों सहित रिकॉर्ड पर रखे गए एवं प्रमाणित संपूर्ण सामग्री को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। केन्द्रीय सरकार एवं मेघालय राज्य द्वारा पेश किए गए साक्ष्य तथा अधिकरण के समक्ष रखी गई प्रमाणित की गई एवं प्रस्तुत की गई सामग्री से यह प्रमाणित होता है कि एच एन एल सी भारत के बाहर हन्नीवट्रेप लोगों के लिए एक पृथक या स्वतंत्र राज्य हासिल करने के लिए कटिबद्ध संगठन है और इस उद्देश्य के लिए इसकी योजना हिंसा एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के माध्यम से उद्देश्य को प्राप्त करना है। एच एन एल सी गुप्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और जबरन धनवसूली एवं डरा-धमकाकर निधियां उगाहने का कार्य कर रहा है। एच एन एल सी बंद का आह्वान करता रहा है और मेघालय विधान सभा चुनाव, 2013 तथा लोक सभा चुनाव, 2014 का बहिष्कार किया है। एच एन एल सी शहरी कार्य के प्रभारी मंत्री, मेघालय को धमकी देते हुए चेतावनी भरे बयान जारी करते रहे हैं। एच एन एल सी काडर लोगों पर हमला करने में भी लिप्त रहे हैं। एच एन एल सी द्वारा लोगों को बार-बार इस बारे में भी कॉल किए गए कि वे राष्ट्रीय दिवस के समारोहों में भाग नहीं ले, यहां तक कि लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए अवरोध भी खड़े किए गए। एच एन एल सी काडर के विधिविरुद्ध घोषित किए गए अन्य संगठनों के साथ संपर्क एवं संबंध हैं। एच एन एल सी के नेता बांग्लादेश में हैं, जहां उन्होंने काडरों को प्रशिक्षित करने के लिए बेस कैम्प स्थापित किए हैं और जहां वे अपहरण, जबरन धन वसूली एवं हिंसा के अन्य कार्य करने के बाद भागकर आ जाते हैं। एच एन एल सी के क्रियाकलाप राज्य की संप्रभु शक्ति के लिए खुली चुनौती है। उनके विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में जबरन धन वसूली, अपहरण, हत्या एवं बलों पर हमला करके डर पैदा करना शामिल हैं जो एच एन एल सी के विधिविरुद्ध एवं अवैध साधनों से राज्य प्रशासन को कार्य में अवरोध पैदा करने के प्रयास के स्पष्ट सूचक हैं। यह एसोसिएशन हथियारों का प्रापण करने, भारत संघ की सीमाओं का अतिलंघन करने तथा भारत की भू-भागीय सीमाओं में और उससे बाहर अन्य प्रतिबंधित संगठनों और विधिविरुद्ध संगमों के साथ संपर्क रखने के कार्य में शामिल है।

25. अधिनियम की धारा 2 (ण) में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलापों' को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :-

> ''(ण)'' किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में ''विधिविरुद्ध क्रियाकलाप'' से ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है (चाहे वह किसी कार्य या शब्दों द्वारा, मौखिक या लिखित में, या हस्ताक्षर द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा या अन्यथा किया गया हो), -

(i) जो किसी भी आधार पर, भारत के भू-भाग के किसी हिस्से का अध्यर्पण या संघ से भारत के भू-भाग के हिस्से को विलग करने के लिए आशयित हो, या किसी ऐसे दावे का समर्थन करता हो, या जो ऐसे अध्यर्पण या विलगाव के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रेरित करता हो, या

(ii) जो भारत की संप्रभुता एवं भू-भागीय अखंडता के दावे को अस्वीकार करता हो, उस पर प्रश्न उठाता हो या जो बाधित करने के लिए आशयित हो; या

(iii) जो भारत के प्रति घृणा पैदा करता हो या पैदा करने के लिए आशयित हो।''

26. अधिनियम की धारा 2 (त) में 'विधिविरुद्ध संगम' को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत है:-

(त) ''विधिविरुद्ध संगम'' से कोई ऐसा संगम अभिप्रेत है, -

(i) जो अपने उद्देश्य के लिए कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करता है या किसी व्यक्ति को कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है या उसे सहायता प्रदान करता है या जिसके सदस्य ऐसे क्रियाकलाप करते हैं; या

(ii) जो अपने उद्देश्य के लिए ऐसा क्रियाकलाप करता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क या धारा 153ख (1860 का 45) के अंतर्गत दंडनीय है या जो व्यक्तियों को ऐसा कोई क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है या सहायता प्रदान करता है या जिसके सदस्य कोई ऐसा क्रियाकलाप करते हैं:

परंतु यह कि उप-खंड (ii) में निहित कोई बात जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगी;

27. इस अधिनियम की धारा 2 (ण) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसमें उल्लिखित आधार जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि अभिव्यक्ति 'या' प्रत्येक खंड के अंत में प्रयुक्त की गई है, जब धारा 2(ण) में यथा निर्धारित कोई आधार लागू होता है तो इस पर उक्त प्रावधान लागू होगा। बिनय कुमार चट्टोपाध्याय, ए आई आर (37) 1950 कलकत्ता 444 के संदर्भ में, यह कहा गया है कि 'घृणा' से राजनीतिक विमुखता या असंतोष अर्थात मौजूदा सरकार के प्रति अभक्ति का भाव प्रदर्शित होता है, जिसका इरादा सरकार की आज्ञा पालन नहीं करना बल्कि उसका विरोध करना एवं उसका विध्वंस करना है।

28. भारत संघ एवं अन्य बनाम सुकुमार सेनगुप्ता एवं अन्य 1990 (अनुपूरक) एस सी सी 545, में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कहा है –'संप्रभुता' के प्रश्न पर, पी.जी. ओसबॉर्न के 'ए कन्साइज लॉ डिक्शनरी', 5वां अंक, पृष्ठ 297 पर हमारे समक्ष भरोसा प्रस्तुत किया गया था, जहां 'संप्रभुता' को किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज में ''उच्चतम प्राधिकार'' के रूप में परिभाषित किया गया है, यह, अनिवार्य, अविभाज्य एवं असीमित है। तथापि, अब इस पर विभाज्य एवं सीमित दोनों के रूप में विचार किया गया है और स्वीकार किया गया है तथा हमें यह निश्चित रूप से माना चाहिए कि इसे ऐसा होना चाहिए। संप्रभुता सामान्य प्रतिरोध की संभावना से बाह्य रूप से सीमित होती है। आंतरिक संप्रभुता आंतरिक सभी कार्य के उपर महत्वपूर्ण शक्ति है और शक्ति की प्रकृति द्वारा ही सीमित होती है।

29. सिंबेटिक्स एवं केमिकल्स लिमिटेड तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1990) 1 एस सी सी 109 में उच्चतम न्यायालय ने 'संप्रभुता' की संकल्पना के महत्व की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि :-

''संप्रभु शक्ति पूर्ण होती है और ऐसी सभी चीजों को करने के लिए प्रत्येक संप्रभु राज्य में निहित होती है जो लोगों के स्वास्थ्य, शांति, नैतिकता, शिक्षा एवं उत्तम व्यवस्था को प्रोत्साहित करती हो। तथापि, संप्रभुता की शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अध्यधीन होती है।''

30. यह रिकॉर्ड पर प्रमाणित किया गया है कि एच एन एल सी ने मेघालय राज्य को भारत संघ से विलग करने के अपने उद्देश्य की खुलकर घोषणा की है। एच एन एल सी सरकार के प्रति 'घृणा' फैलाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों का सहारा लेता रहा है और उनमें लिप्त रहा है। एच एन एल सी डराने-धमकाने, अपने संगठन के लिए निधियां एकत्र करने के लिए सिविलियन लोगों से जबरन धन वसूलने एवं लूटने के कार्यों में लिप्त रहा है। यह संगम जबरन धन वसूली एवं डराने-धमकाने का कार्य करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के साथ संपर्क रख रहा है। एच एन एल सी अपने काडरों के आश्रय एवं प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देश में शिविरों का रख-रखाव भी करता रहा है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए नुकसानदायक है। एच एन एल सी के उद्देश्य अधिनियम की धारा 2 (ण) में यथा परिभाषित 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' के कार्यक्षेत्र एवं दायरे के भीतर आते हैं।परिणामस्वरूप, एच एन एल सी अधिनियम की धारा 2 (त) के अर्थ के भीतर 'विधिविरुद्ध संगम' है।

31. यह पहली बार नहीं है कि यह मुद्दा इस अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। यह वर्ष 2000 से हो रहा है। एच एन एल सी को प्रतिबंधित संगठन घोषित करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को समय-समय पर गठित अधिकरण द्वारा उत्तरोत्तर रूप से सही ठहराया गया है। एच एन एल सी के क्रियाकलाप तब से बिन रूके चल रहे हैं। एच एन एल सी के

विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना के तहत उसे 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में सही ही अधिसूचित किया है।

32. मेघालय राज्य एवं केन्द्रीय सरकार ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाया है कि एच एन एल सी के लक्ष्य, उद्देश्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ण) में यथा परिभाषित 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' हैं और इनका आशय भारत संघ से मेघालय को विलग करके, एक स्वतंत्र देश बनाकर देश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करना है। इसलिए एच एन एल सी के उद्देश्य भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए प्रत्यक्ष खतरा है और यह आवश्यक है कि एच एन एल सी को उसके विनाशकारी क्रियाकलापों को जारी रखने से रोकने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया जाए।

33. इस प्रकार, रिकॉर्ड पर लाए गए भरोसेमंद साक्ष्य के मद्देनजर, मेरी सुविचारित राय है कि एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है और तदनुसार, एच एन एल सी को 16 नवम्बर, 2014 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंधित करने हेतु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक 16 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत पुष्टि किए जाने के अधीन है, तदनुसार आदेशित।

(न्यायमूर्ति ए. के. पाठक)
पीठासीन अधिकारी
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

12 मई, 2015

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2015

S.O. 2161(E).—In terms of section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Mr. Justice A.K. Pathak, Judge Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) organization of Meghalaya as unlawful is published for general information:

[No. 11011/27/2014-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

NEW DELHI

Reserved on: 29th April, 2015

Date of decision: 12th May, 2015

In the matter of:

Gazette Notification No. S.O. 2923(E) dated 16th November, 2014 declaring Hynniewtrep National Liberation Council of Meghalaya as Unlawful Association under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE A.K. PATHAK

Present:

Mr. Sanjay Jain, Addl. Solicitor General, Mr. Jasmeet Singh, Central Government Standing Counsel, Mr. Rajesh Gogna, Central Government Standing Counsel with Ms. Neeta Gupta, Deputy Secretary and Mr. S.C. Rawat, Section Officer, Ministry of Home Affairs.

Mr. Ranjan Mukherjee, Advocate for the State of Meghalaya.

ORDER

1. Vide Notification No. S.O. 2923(E) dated 16th November, 2014 passed under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (for short, hereinafter referred to as 'the Act), the Central Government has declared Hynniewtrep National Liberation Council of Meghalaya [for short 'HNLC'] as 'Unlawful Association' with effect from 16.11.2014, inter-alia, on the grounds that HNLC has (i) been openly adopting its anti-national ideology; (ii) been employing and engaging in armed means to achieve their objectives; (iii) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organization; (iv) been indulging in maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern region for carrying out acts of extortion and intimidation; and (v) been maintaining camps, "in neighbouring country", for the purpose of sanctuary and training of their cadres.

2. Vide Notification No. S.O. 3088(E) dated 08th December, 2014 passed under Section 5(1) of the Act, Ministry of Home Affairs, Government of India constituted this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there were sufficient grounds for declaring the HNLC as an 'Unlawful Association' and made reference to this Tribunal under the provisions of Section 4 of the Act. The reference was received by this Tribunal on 17th December, 2014.

3. Along with the Notification, the Central Government has furnished a background note on HNLC stating therein the aims and objectives of HNLC; giving its "violence profile", as also its links with underground outfits of the North Eastern Region. As per the background note, the HNLC was formed in 1992 with the aim:

(i) of liberation of Hynniewtrep People (Khasi and Jaintia tribals) from the alleged authoritarian rule of the Indian Government;

(ii) to protect the Khasis and other Meghalaya tribes from exploitation; and

(iii) to retain the indigenous culture and to eradicate social evils.

4. It further states that though no major incident of violence by HNLC has been reported of late, however, small detachments of cadres are making efforts to regain lost ground in the Khasi-Jaintia Hills, comprising East Khasi Hills, West Khasi Hills, Ri-Bhoi and Jaintia Hills Districts. The violence profile of HNLC as detailed in the background note reads as under:-

(a) On 2nd February, 2014 and 16th April, 2014, HNLC issued an e-mail exhorting the youth of the State to join hands with them and gave quit notices to all the Nepalese residing in the disputed Langpih area on the Assam-Meghalaya Border and in the districts of Khasi and Jaintia Hills;

(b) During the Parliamentary Elections in April, 2014, HNLC posted a message on their Facebook page exhorting everyone to throw bombs at the polling stations;

(c) HNLC called for a total shut down on 8th, 9th , 12th and 13th May, 2014, of all the Central and State Government offices in the six districts of Khasi-Jaintia hills in protest against the arrest of Lamphrang Kharbani, President of Hynniewtrep Achik National Movement (HANM) and four others of charges of extortion activities.

5. That HNLC had been extorting money from the coal belt areas of the Jaintia hills which was also being used as a transit route by the HNLC cadres for their trans border movements across Bangladesh. It is further stated that HNLC continues to maintain links with the National Liberation Front of Tripura (Biswamohan Debbarma), National Socialist Council of Nagaland (Isac – Muviah) and Kanglei Yaol Kanba Lup. The leaders of the HNLC, Bobby Marwein, Self Styled Commander in Chief and Cheristerfield Thangkhiew, Self Styled General Secretary, continue to operate from Bangladesh. During the month of March, 2014, the HNLC had recruited around nineteen cadres from West Khasi Hills and South-West Khasi Hills.

6. On the afore-noted grounds, the Central Government formed the opinion that the activities of HNLC were detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if not curbed and controlled immediately, the said organization will regroup and rearm itself, expand its cadre, procure sophisticated weapons, cause loss of lives of civilians and security forces, and accelerate the anti-national activities.

7. Preliminary hearing was held on 23rd December, 2014 and notice under sub-Section (2) of Section 4 of the Act was issued to HNLC to show cause as to why it be not declared 'unlawful association'. The notice was directed to be served in the following manner:-

I. By affixing a copy of the notification to some conspicuous part of the office(s), if any, of the Association;

II. By serving a copy of the notification, wherever possible, on the principal office-bearers, if any, of the Association;

III. By proclaiming by beat of drums of by means of loudspeakers, the contents of the notification in the area in which the activities of the Association are ordinarily carried on;

IV. By making an announcement over the radio from the local or nearest broadcasting station of the All India Radio;

V. By pasting the notification on the Notice Board of the office of the Deputy Commissioners at the Headquarters of each of the seven Districts in the state; and

VI. By publication in a National Newspaper in English and in one vernacular newspaper of the respective States in which the activities of the HNLC are ordinarily carried on.

8. Affidavits of service were filed by the Central Government and State of Meghalaya, categorically stating therein the mode and manner in which HNLC was served. It was stated in the affidavit that HNLC has no fixed place of its office and was in hiding. Notices were served by publication in the newspapers viz. The Hindustan Times dated 11.01.2015, Meghalaya Times, The Meghalaya Guardian, Highland Post, Mawphor, U Nongsain Hima, Kynjatshai, U Peitngor dated 10.01.2015 and Rupang dated 12.01.2015 as also by broadcasting through the Shillong Station of All India Radio and telecast through the Doordarshan Kendra, Shillong. The notices are also stated to have been displayed on the notice boards of the Deputy Commissioners' offices in the Districts of the State of Meghalaya. The reports received from the concerned Deputy Commissioners have been filed along with the affidavit of service of the Central Government.

9. Despite service no one appeared for the HNLC, therefore, it was proceeded ex parte on 7th March, 2015.

10. Evidence was recorded in Shillong on 7th & 8th March, 2015 and 18th April, 2015 with a view to invite wider public representation in support or against the ban and also to afford HNLC to participate in the proceeding, if it so desired. The State of Meghalaya examined the following witnesses:-

(i) SW1 Smt. R. Lyngdoh, IAS, District Magistrate, South West Khasi Hills District, Mawkyrwat, Meghalaya;

(ii) SW2 Shri D.D. Sangama, IPS, Superinendent of Police, South West Khasi Hills, Mawkyrwat, Meghalaya;

(iii) SW3 Shri Peter Sansan Dkhar, IAS Deputy Commissioner West Jaintia Hills, District Jowai Meghalaya;

(iv) SW4 Shri H.G. Lyngdoh, MPS Superintendent of Police West Jaintia Hills, District Jowai Meghalaya;

(v) SW5 Shri W.R. Lyngdoh, IAS, Deputy Commissioner, East Jaintia Hills, District Khliehriat, Meghalaya;

(vi) SW6 Shri M.K. Dkhar, IPS Superintendent of Police East Jaintia Hills, District Khliehriat, Meghalaya;

(vii) SW7 Shri Freeman Kharlyngdoh, IAS, Commissioner & Secretary to the Government of Meghalaya, Political Department, Shillong, Meghalaya;

(viii) SW8 Shri Sanjay Goyal, IAS, Deputy Commissioner, East Khasi Hills District, Shillong, Meghalaya;

(ix) SW9 Shri M. Kharkrang, Superintendent of Police, East Khasi Hills District, Meghalaya;

(x) SW10 Shri S. Kharlyngdoh, IAS, Deputy Commissioner, West Khasi Hills District, Nongstoin, Meghalaya;

(xi) SW11 Shri Sylvester Nongtnger, MPS, Superintendent of Police, West Khasi Hills District, Nongstoin, Meghalaya;

(xii) SW12 Dr. Pooja Pandey, IAS, Deputy Commissioner, Ri Bhoi District, Nongpoh;

(xiii) SW13 Shri C. Venkata Subba Reddy, Superintendent of Police, Ri-Bhoi District, Nongpoh.

11. The Central Government examined CW1 Ms. Neeta Gupta, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, North Block, New Delhi. Statements of abovenoted witnesses have remained unchallenged as no one came forward on behalf of HNLC to cross-examine the witnesses, inasmuch as no public person filed any objections.

12. SW-1, Smt. R. Lyngdoh, has deposed that on 20.11.2013, on receipt of information that some persons were bringing HNLC demand notes from Shillong to Mawkyrwat, a police team conducted checking at Jakrem area; during the search a bag containing one laminated appeal letter in the name of HNLC, nineteen demand notes, one receipt book of lion sports club, one Bangla link sim card, 2 Bangla link top up cards and nineteen yellow envelopes were recovered. Two suspected HNLC cadres were detained and from their possession two mobile handsets and one G phone dual sim were recovered. She has further stated that two of the accomplices of the said persons were also arrested pursuant to the information provided by them. She has further stated that on 02.05.2014, a demand note of HNLC and cash of ₹2,50,000/- were recovered from a vehicle belonging to the HNLC members. She has categorically stated that HNLC was involved in office picketing and have called for bandhs on all national days, namely, Republic day and Independence day. The affidavit further states that HNLC cadres were indulging in unlawful activities and since its inception have clearly intended and have supported the claims for secessionist activities and have also incited the tribal youth of the State to bring about such secession.

13. Deposition of SW-2, Shri D.D. Sangama, IPS, is in line with the statement of SW1. He has proved certain documents. Ex. SW-2/1 is the copy of the FIR No. 24(11)13 registered at Mawkyrwat police station under sections 121(A)/120(B) IPC read with Sections 10/13 of the Unlawful Activities Prevention Act. Ex. SW-2/2 is the copy of the FIR No. 8(5)14 under sections 121/121(A) IPC read with Sections 10/13 of the Unlawful Activities Prevention Act. The said FIR was registered pursuant to the recovery of one demand note of HNLC from the possession of Sh. Lamphrang Kharbani. Later on two more persons were apprehended and a cash of ₹2,50,000/-, suspected to be delivered to HNLC cadres, was recovered. Ex. SW 2/3 is the copy of the media report regarding the office picketing call given by HNLC. Ex. SW 2/4, 2/5, 2/6 and 2/7 are the copies of media reports regarding the bandh calls given by the HNLC protesting the Legislative Assembly elections in the State of Meghalaya as also against the banning of Rat Hole Mining by the National Green Tribunal and to boycott Republic day and Independence day.

14. SW-3, Shri Peter Sansan Dkhar, IAS Deputy Commissioner, West Jaintia Hills, District Jowai, Meghalaya, has deposed that though there had not been registration of cases because of various factors including reluctance on the part of the local people to come forward and complain primarily because of fear psychosis, yet it cannot be said that HNLC is not engaging itself in unlawful activities. He has further stated that HNLC was active in West Jaintia Hills district and was indulging in extortion, intimidation and kidnapping activities. The HNLC is also involved in anti-national, unlawful and nefarious activities. He has further stated that NDFB, GNLA and NLFT are the main supporters of HNLC which are based in Bangladesh. He has also stated that the activities of HNLC along with other militant groups cause serious threat to the sovereignty, integrity and internal and external security of India. He has annexed various newspaper clippings with his affidavit as Ex. SW3/1 (Colly) in support of his deposition that HNLC was engaged in unlawful activities as detailed in his affidavit. SW-4, Shri Herbert G. Lyngdoh, has deposed in line with SW3. He has also proved newspaper clippings as Ex. SW-4/A. Ex. SW-4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 and 4/10 in support of his statement that HNLC had given bandh calls on various occasions, that is, on the eve of Republic day celebrations in the year 2013, protested against the visit of the Hon'ble President to the State, on the eve of Independence day celebrations, demanded release of arrested pro-ILP activist and for boycotting the Republic day celebrations and Lok Sabha elections of 2014; gave a call for office

picketing, so as to compel the release of arrested HANM president and four others and against the banning of Rat Hole Mining by the National Green Tribunal.

15. SW-5, Shri W.R.Lyngdoh, has deposed that HNLC had been actively operating its unlawful, nefarious and anti-social activities in East Jaintia Hills district in the State of Meghalaya. He has also detailed in his affidavit the major unlawful activities of HNLC in the recent past carried out within the territories of East Jaintia Hills district. Various newspaper clippings, that is, Ex. SW-5/1, SW-5/2, SW-5/3, SW-5/4, SW-5/5 and SW-5/6 have been annexed with the affidavit to show that bandh calls were given by the HNLC in East Jaintia Hills district from time-to-time to protest against the visit of Hon'ble President of India to Shillong, on 26th January, 2014. Office picketing was also called to compel the release of the president of the HANM, inasmuch as bandh was called against the order of the National Green Tribunal whereby coal mining was banned in the State and also in protest against the Independence day celebrations and against the observance of the International day of non-violence on 2nd October in remembrance of the birth day of Mahatma Gandhi. He has further stated that HNLC had conducted a recruitment drive by enticing the local youths of East Jaintia Hills. He has also stated that extortion, intimidation and kidnapping are the main objectives of HNLC, inasmuch as they were causing serious threat to the sovereignty, integrity as well as posing internal and external threat to the security of India. SW-6, Shri M.K. Dkhar, has deposed in line with SW5. Several newspaper clippings have been annexed with the affidavit as Ex. SW-6/1, Ex. SW-6/2, Ex. SW-6/3, Ex. SW-6/4, Ex. SW-6/5, Ex. SW-6/6 and Ex. SW-6/7. He has been categorical in saying that extortion, intimidation and kidnapping were the main objectives of HNLC against the public at large, more particularly the business community. Fear psychosis is one of the basic cause because of which the victims or affected persons do not report the cases to police. He has further stated that endeavour of the HNLC cadres is that by creating fear psychosis, the general public is compelled to toe their line of secession of the state from the Union of India. He has also stated that the activities of HNLC along with other militant groups cause serious threat to the sovereignty, integrity and internal and external security of India.

16. CW-1, Ms. Neeta Gupta, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, has proved the Notification No. 2923(E) dated 16.11.2014 as CW1/1. This is the notification whereby the decision of the competent authority to ban the HNLC by declaring it unlawful association under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was published. Exhibit CW-1/2 is the gazette notification published on 19th May, 2005 containing the order of the Tribunal in terms of Section 4(3), whereby the earlier decision of the Central Government to ban HNLC was upheld. Exhibit CW-1/3 and Exhibit CW-1/4 are copies of notification No. 789(E) dated 21.5.2007 and notification No. 1372(E) dated 28.5.2009 respectively, containing the orders passed by the earlier Tribunals to whom the matter was referred under the Act whereby the said Tribunals upheld the decision of the Central Government to ban the HNLC. Exhibit CW-1/5 is the copy of notification No. 1268(E) dated 1.6.2011 whereby the Tribunal vide order dated 13.5.2011 has upheld the previous notification dated 16.10.2010 issued by the Central Government declaring the HNLC as an 'unlawful association'. Exhibit CW-1/6 is the copy of notification No. 2001(E) dated 28.6.2013 whereby the Tribunal vide order dated 14.5.2013 upheld the previous notification dated 16.11.2012 issued by the Central Government declaring the HNLC as an unlawful association. Exhibit CW-1/7 is the short summary of various activities that had come to the notice of Government from November, 2012 onwards. Exhibit CW-1/8 is brief summary of the aims & objectives as also the activities of the HNLC. Further she has deposed that the top leaders of HNLC were operating from Bangladesh. She has stated that on 2nd February and 16th April, 2014, HNLC issued an e-mail exhorting youth of the State to join hands with them; HNLC regularly gives calls for boycott of the Republic day and Independence day celebrations and during the parliamentary elections in April, HNLC posted a message on their facebook page exhorting everyone to throw bombs at the polling stations. On 8th, 9th, 12th and 13th May, 2014, HNLC called for a total shut down of all the central and State Government offices in the six districts of Khasi Jaintia hills to protest against the arrest of the president of Hynniewtrep Achik National Movement. She has further stated that it has been revealed during interrogation of the cadres of National Liberation front of Tripura that HNLC had purchased number of AK series weapons. The HNLC is extorting money from the coal belt areas of Jaintia Hills; HNLC continues to maintain links with the National Liberation Front of Tripura (Biswamohan Debbarma), the National Socialist Council of Nagaland (Issac-Muviah) and Kanglei Yaol Kanba Lup (Hampur) which is a major security concern for the country. She has further deposed that HNLC and

its activists were still continuing to indulge in unlawful activities for which the organization was banned earlier and that the activities of HNLC are detrimental to the peace and internal security of the Country. There is an every likelihood of the HNLC seeking to expand the scope of its secessionist, subversive, terrorist and violent activities, in case the proposed ban by the Central Government is not affirmed for the period envisaged in the notification issued under the Act.

17. SW-7, Shri Freeman Kharlyngdoh, has deposed that through various press releases the HNLC has been calling for bandhs and non-cooperation on every national day celebrations, i.e., on Republic day and Independence day and such unlawful activities of HNLC were evident from the newspaper clippings exhibited SW 7/1 (colly). He has stated that HNLC had been engaging itself in all kinds of unlawful activities such as extortion and looting of civilian population, collection of funds. Copy of FIR No. 24(11) 13 U/S 121 (A)/120(B) IPC R/W Sec 10/13 UAP Act (Ex. SW 7/2) has been annexed with the affidavit. The said FIR was registered at Mawkyrwat Police Station. During the checking of a bus in Jakrem area, two suspected HNLC members were detained and from their possession two mobile handsets were recovered. Ex. SW 7/3 is the copy of the FIR No. 8(5) 14 U/S 121/121(A) IPC R/W Sec 10/13 UAP Act registered at Mawkyrwat Police Station by Inspector K. Shabong I/C special cell, East Khasi Hills, Shillong. On 30th January, 2013, police arrested one suspected HNLC cadre namely Roland Marwein from Jakrem(South-West Khasi Hills District) and recoverd a demand note of ₹ 5,50,000/- addressed to Shri Kyrmenskhem Nongrel. He further disclosed certain other instances of extortion committed by the members of HNLC, which led to filing of FIRs, some of which were under investigation and in some cases charge sheet was ready for filing, on receipt of prosecution sanction from the Government. The HNLC had called for the boycott of the general elections Scheduled on 23.02.2013 and also for the Lok Sabha elections 2014 in Khasi and Jaintia Hills region. He has further stated that HNLC had established good relations with anti national insurgent groups of the North Eastern States like ULFA, NSCN, NDFB and NLFT which indicated that HNLC will create more trouble in the near future, posing a serious threat to the national security and sovereignty of India. He has also stated that members of HNLC get training and support from other banned organizations. He has also endorsed the averments made in the affidavits of the Deputy Commissioners and Superintends of Police of all the six districts where HNLC is active.

18. SW 8, Shri Sanjay Goyal, has deposed that HNLC has been actively involved in unlawful, nefarious and Anti-National activities in the District of East Khasi Hills; the activities of HNLC are aimed at disrupting sovereignty and territorial integrity of India. He has also stated that cadres of HNLC were engaged in raising funds by issuing demand notes to the business community. HNLC has established good relations with other banned insurgent groups of the North Eastern States like ULFA, NSCN, NDFB and NLFT. SW 9, Shri M.Kharkrang, Superintendent of Police, East Khasi Hills District, Meghalaya has reiterated the facts stated by SW-8 Mr. Sanjay Goyal in his affidavit(SW 8/A). He has relied on the newspaper clippings Ex.SW9/3, Ex.SW9/4, Ex. SW9/6, Ex. SW9/7, Ex. SW9/8, Ex. SW9/10, Ex. SW9/12, Ex. SW9/13, Ex. SW9/16, Ex. SW9/18, Ex. SW9/19, Ex. SW9/20, Ex. SW9/21, Ex. SW9/22 and Ex. SW9/23 to support his deposition that HNLC had been making calls to boycott the Republic day celebrations, assembly polls, Independence day celebrations, inasmuch as, they protested against the visit of the President of India; gave calls for office picketing, shut down, bandhs etc. He has annexed copy of FIR No.3 dated 24th January, 2014 under Sections 120-B/121/121-A IPC read with Section 10/13 U.A.P. Act (Ex.SW9/2) regarding arrest of Suffiyan Ali Hazrika @ Manbhalang Jyrwa on 24th January, 2013 from whom one lap top and three mobile phones were recovered. He has further deposed that Suffiyan Ali Hazrika admitted during the interrogation that he was member of HNLC. Copy of FIR No.60 dated 17th July, 2013 under Sections 222/224 IPC 1860 U.A.P. Act (Ex.SW9/5) was also annexed regarding the incident dated 17.7.2013 when Phyrnailang Swer was arrested in connection with FIR No. 3(1)13 but escaped from the NEIGRIHMS, Shillong where he was undergoing medical treatment. Copy of FIR No.19(03) 2014 dated 14th March, 2014 under Sections 120-B/121 IPC read with Sections 10/13 U.A.P. Act (Ex.SW9/9) has been annexed by him with the affidavit to show that on 14.3.2014 the police intercepted one Tata Sumo wherein three members of HNLC were travelling. They were going to Mawsynram to carry out subversive activities. Copy of FIR No.31 dated 11th April, 2014 registered under Sections 120-B/506 IPC read with Sections 10/13 U.A.P. Act (Ex.9/11) has been annexed by him with the affidavit to show that on 4.4.2014 one Shri K. Langstieh and other Myntries of Hima Mylliem received a telephone call and the caller introduced himself as the PSO of the HNLC public secretary and threatened them to resolve the matter or otherwise they will be eliminated. Copy of

FIR No.9(5)14 dated 9th May, 2014 under Sections 120-B IPC read with Sections 10/13 U.A.P. Act (Ex.SW9/14) has been annexed to show that on 8.5.2014, a police team saw two motor cycle borne persons and on seeing the police team, one of them jumped off from the motor cycle and escaped towards the jungle, whose identity was disclosed as Wan Khardewsaw, a hardcore HNLC cadre, on interrogation of the person apprehended. Copy of FIR No.153 dated 5th May, 2014 under Sections 506 IPC read with Sections 10/13 U.A.P. (Ex.SW9/15) has been annexed to show that on 5.5.2014, the public secretary of HNLC issued an open threat to the life of Shri Vivek Syiem, MPS, Superintendent of Police(City), Shillong. Copy of FIR No.118 dated 28th July, 2014 under Sections 326/34 IPC of the U.A.P. Act (Ex.9/17), lodged by one Shri Robert Pariat at Laitumkhrah Police Station has been annexed with the affidavit to show that some unknown miscreants assaulted his son with an iron rod on the head and rib cage at Lachumiere as a result he sustained injuries. SW 9 has further stated that three persons were arrested and on questioning, they revealed that they lured the victim to attend a party and had chalked out a plan to kidnap him for ransom at the behest of one senior HNLC cadre namely Frankupar Diengdoh @ Metal @ Bah Hep Metal based in Bangladesh.

19. Ex. SW 10, Shri S. Kharlyngdoh, has deposed that HNLC was having direct nexus and links with National Socialist Councils of Nagalim (NSCNIM), which had been supplying arms and ammunitions, as well as imparting training to the cadres of HNLC besides providing logistic support to enable the HNLC to disturb the security and tranquility of the State. He has also stated that HNLC had been supporting the claims for secessionist activities and has also incited the tribal youths of the State to bring about such secession; HNLC cadres are still in possession of illegal arms and ammunitions kept in various hide-outs; the clandestine operations by HNLC cadres for collection of funds by illegal means are still being carried out; extortion of money from general public is still being carried out surreptitiously by HNLC cadres. Further the HNLC had been calling bandhs on Republic days and Independence days and were continuing with their unlawful activities to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India. SW 11, Shri Sylvester Nongtnger has deposed in line with SW10. He has annexed copies of newspaper clippings Ex. SW 11/1 to Ex. SW 11/5 to show that HNLC had been calling for bandhs each year on all national celebration days; to boycott the assembly elections and had given calls for office picketing on 8, 9, 12 and 13th May, 2014 as also issued a quit notice and called upon the youths to join the HNLC. He has also filed a copy of FIR No.89(7)(14) dated 20th July, 2014 under Sections 120-B/121/121-A IPC read with Section 10/13 U.A.P. Act (Ex.SW11/6) to the effect that one HNLC cadre namely Shri Khielunglang @ Bantei Lyngkhoi was detained by Tripura Police, who had fled away from HNLC Camp at Bangladesh.

20. SW 12, Dr. Pooja Pandey has deposed that though there has been no registration of cases because of various factors including reluctance on the part of the local people to come forward and complain primarily because of fear psychosis, yet it cannot be said that HNLC is not engaging itself in unlawful activities. She has further stated that HNLC is endeavouring to wear away the common people from the main stream and if the illegal activities of HNLC are not immediately curbed and controlled, they would grow in strength and rearrange itself to recruit more cadres and procure sophisticated weapons etc. which they may use against the civilian and security forces and accelerate its Anti-National activities and wage war against the State.

21. SW 13, Shri C. Venkata Subba Reddy has deposed that HNLC had been calling bandhs on all National days viz. Republic Day and Independence Day to prevent the general public from celebrating the same. He has further stated that though the group is not so active in Ri-Bhoi District but they are reportedly using this District as their hide-out and meeting place with other extremist groups of neighbouring State of Assam. He has reiterated the facts stated by SW-12 in her affidavit.

22. SW4, SW7 and SW9 have categorically deposed that basic object of HNLC is to form a sovereign 'Khasi Hills State' not being part of Union of India. All the activities committed by the HNLC are in that direction. It may further be noted that during the hearing in Shillong, CW1 had tendered a sealed envelope containing material to support the averments that HNLC was engaged in unlawful activities. It also included several reports of Ministry of Defence, R&AW and Border Security Force. Envelope has been opened and perused and re-sealed. It be returned to the Central Government along with the report.

23. The witnesses examined on behalf of the Central Government & the State of Meghalaya have not been cross-examined as HNLC has remained ex parte. Despite the fact that the Tribunal held its sittings for recording the evidence to enable the HNLC and/or the general public to participate but no

one came forward to cross-examine the witnesses or to give inputs on the subject. The evidence brought on record by the Central Government and the State of Meghalaya has remained unrebutted and unchalleged.

24. I have heard learned ASG, learned counsel for the State of Meghalaya and perused the entire material placed and proved on record carefully including the documents in the sealed cover. From the evidence adduced by the Central Government and State of Meghalaya coupled with the material placed, proved and produced before the Tribunal, it is established that HNLC is an organisation committed to achieve a separate or independent State for the Hynniewtrep people outside India and to that end it seeks to achieve the objective through the acts of violence and unlawful activities. HNLC is undertaking clandestine trainings, raising funds through extortion and intimidation. HNLC has been calling bands and boycott of the general election of the Meghalaya Legislative Assembly, 2013 as also the Lok Sabha Elections, 2014. HNLC cadres have been issuing warning statements of intensifying the threat to Minister-in-charge of Urban Affairs, Meghalaya. HNLC cadres have also indulged in assaulting and attacking the people. Repeated calls were also given by HNLC to the people not to attend national day celebrations, inasmuch as, hurdles were created in preventing people from participating in the democratic process. HNLC cadres are maintaining contact and links with other organisations that have been declared unlawful. Leaders of HNLC are based in Bangladesh where they have set up base camps to train cadres and where they flee after committing acts of kidnapping, extortion and other acts of violence. The activities of HNLC are an open challenge to sovereign power of the State. Their unlawful activities include creating fear psychosis by extortion of money, abduction, murder and attack on the forces are the clear indications of the attempt on the part of HNLC to hinder the State Administration by its unlawful and illegal means. The Association is involved in procuring of weapons, infringing the borders of the Union of India and keeping their contacts with other banned organisations and unlawful associations in and outside the territorial limits of India.

25. Section 2(o) of the Act defines 'unlawful activities' which reads as under:-

"(o) "unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise),—

(i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession; or

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or

(iii) which causes or is intended to cause disaffection against India;"

26. Section 2(p) of the Act defines 'unlawful association' which reads as under:-

(p) "unlawful association" means any association,—

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or

(ii) which has for its object any activity which is punishable under section 153A or section 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity:

Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir;

27. A perusal of Section 2(o) of the Act makes it clear that the grounds mentioned therein are disjunctive since expression 'or' has been used at the end of every clause; meaning thereby, even if any of the ground as stipulated in Section 2(o) is attracted it will attract the said provision. In Re: Binoy Kumar Chattopadhyaya AIR (37) 1950 Calcutta 444, it has been held that the word 'disaffection' signifies

political alienation or discontent, that is to say, a feeling of disloyalty to the existing Government, which tends to a disposition not to obey, but to resist and subvert the Government.

28. In Union of India & Ors. vs. Sukumar Sengupta & Ors. 1990 (Supp) SCC 545, Supreme Court has held as under:-

> "On the question of 'sovereignty', reliance was placed before us on 'A Concise Law Dictionary' by P.G. Osborn, 5th Edition, p. 297, where 'sovereignty' has been defined as "the supreme authority" in an independent political society. It is, essential, indivisible and illimitable. However, it is now considered and accepted as both divisible and limitable, and we must recognize that it should be so. Sovereignty is limited externally by the possibility of a general resistance. Internal sovereignty is paramount power over all action within, and is limited by the nature of the power itself".

29. In Synthetics and Chemicals Ltd. & Ors. vs. State of U.P. & Ors. (1990) 1 SCC 109, Supreme Court while explaining the importance of concept of 'sovereignty' has held thus:

> "The sovereign power is plenary and inherent in every sovereign State to do all things which promote the health, peace, morals, education and good order of the people. This power of sovereignty is, however, subject to Constitutional Limitations."

30. It has been proved on record that HNLC has openly declared as its objective the secession of the State of Meghalaya from the Indian Union. HNLC has been employing and engaging in armed means to achieve their objectives of spreading 'disaffection' against the Government. HNLC has been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organization. The Association has been maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern region for carrying out acts of extortion and intimidation. HNLC has also been maintaining camps in neighbouring country for the purpose of sanctuary and training of their cadres, which is detrimental to the sovereignty and integrity of India. The activities of HNLC falls within the ambit and scope of 'unlawful activity' as defined in Section 2(o) of the Act. Resultantly, HNLC is an 'unlawful association' within the meaning of Section 2(p) of the Act.

31. It is not the first time this issue is under consideration before this Tribunal. It is happening since the year 2000. Earlier notification issued declaring HNLC a banned organisation have been successively upheld by the Tribunal constituted from time-to-time. The activities of HNLC are going on unabated since then. Keeping in view the unlawful activities of HNLC, I am of the view that Central Government has rightly notified it as an 'unlawful association' vide the notification in question.

32. The State of Meghalaya and Central Government have brought on record overwhelming evidence to show that the aims and objects and the activities of HNLC constitute 'unlawful activity' as defined in sub-Section (o) of Section 2 of the Act and are intended to cause a threat to the sovereignty of the country by seeking secession of Meghalaya from the Union of India, by carving out an independent state. The activities of the HNLC are therefore a direct threat to the sovereignty and integrity of India and it is imperative that the unlawful activities be banned in order to prevent HNLC from continuing its disruptive activities.

33. Thus, in view of the convincing evidence brought on record, I am of the considered view that sufficient cause exists for declaring the HNLC as an unlawful association and accordingly, the Notification dated 16th November, 2014 issued by the Central Government under sub-section (1) of Section 3 of the Act banning HNLC for a period of five years with effect from 16th November, 2014 is liable to be confirmed under sub-Section (3) of Section 4 of the Act, ordered accordingly.

(JUSTICE A.K. PATHAK)

Presiding Officer

Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

May 12, 2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.